तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
19/06/19	पत्रावली पेश। फरिकैन वकुलाय उप॰ उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस मनन बहस पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र. O-1, R-10 दि. 26/6/19 को पेश हो। [signature]
26/6/19	पत्रावली पेश। वकुलाय फरिकैन उप॰ पत्रावली समयाभाव के कारण पूर्वादेशानुसार दि. 01/07/19 को पेश हो। [signature]
01/07/19	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकुलाय फरिकैन उप॰। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी प्रा॰ पत्र अन्तर्गत O.1, R.10 CPC ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिवादी पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस के जवाब में वकील प्रतिपक्ष (वादी) ने अपने जवाब प्रा॰ पत्र अन्तर्गत O.1, R.10 CPC में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए आवेदक का प्रा॰ पत्र O.1, R.10 CPC खारिज फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली पर राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। चूंकि आवेदक द्वारा अपने प्रा॰ पत्र O.1, R.10 के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया है कि आवेदक का विवादित सरकारी भूमि पर पिछले 30-40 वर्षों से अतिक्रमी के रूप में कब्जा रहा है। आवेदकगण ने मात्र इस तथ्य के आधार पर हस्तगत प्रकरण में पक्षकार बनाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है कि विवादित भूमि के लगती उनके दादा-पिता की अन्य

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
भूमियां स्थित है। मात्र उक्त अभिकथन के आधार पर, वादपत्र में बहस के प्रक्रम पर, प्रा० पत्र O. 1, R. 10 CPC पेश किया गया है, जिसे स्वीकार किया जाने पर न्याय में विलम्ब होगा तथा पक्षकारान हैरान-परेशान होंगे। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में प्रा० पत्र अन्तर्गत O. 1, R. 10 CPC, प्रकरण में देरीना कारित करने वाला पाया जाने पर अस्वीकार किया जाकर, खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस मूलवादपत्र दिनांक 03/07/2019 को पेश हो।	
/07 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में लिखित बहस भी पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 12/07/2019 को पेश हो।	
07/-/19 पत्रावली पेश। वकील वादी उप०। समयाभाव के कारण पत्रावली पुनः पूर्वादेशानुसार दि. 18/07/19 को पेश हो।	
/07 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील वादी उप०। प्रकरण में बहस वकील वादी पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, मुख्य परीक्षण बाबत पेश किये गये शपथ-पत्रों, वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों (दस्तावेजी), लिखित बहस आदि का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी द्वारा बरवक्त बहस प्रस्तुत किये गये तर्कों पर सगौर मनन किया गया, जिनसे वादी का दावा, नगर पालिका जकेला को राज्य सरकार के	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	नियमानुसार विधिसम्मत प्रक्रिया अपना कर विवादित कृषि भूमि निष्कमन योग्य पाई जाने पर निष्कमन वादी के बहक किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने की हद तक स्वीकार किया जाकर डिक्री जाता है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 12/07/19 उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाइ

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला मुकाम खण्डेला

ब इजलास श्री महीपाल सिंह R.A.S.

भगवती प्रसाद पुत्र चौथमल बनाम (1) राजस्थान सरकार जरिये

दावा बाबत घोषणा, दुरुस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. सन्

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू महीपाल सिंह R.A.S.

व हाजिरी श्री भजनाराम एड. मिनजानिब मुद्दई रूबरू —

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादी का दावा नगर पालिका खण्डेला को राज्य सरकार के नियमानुसार विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाकर विवादित भूमि ख० न० 2311 रकबा 0.64 हे० तन ग्राम खण्डेला नियमन योग्य पाए जाने पर नियमन वादी के हक किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने की हद तक स्वीकार

मिंज × गुबलिग × बाबत ×

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद मशरह × फीसदी ......ना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक × का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 07 सन् 2019 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

ओहदा उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

* जाति महाजन निवाली खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.) — (वादी)

⊗ तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर राजस्थान
2. नगर पालिका खण्डेला जरिये अधि-अधिकारी नगर पालिका खण्डेला जि. सीकर राज. – (प्रतिवादीगण)

④ किया जाकर आंशिक डिक्री किया जाता है।

18/07/15

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner